न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी

प्रकीर्ण वाद सं0–126 / 2026

गुड्डी देवी बनाम विक्रान्त आदि

CNR No UPLP10001551-2026

धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0

थाना–मोहम्मदी, जिला–खीरी

10.06.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है। पत्रावली एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदिका ने मुख्यतः यह कथन किया है कि घटना दिनांक 04.05.2026 रात्रि 8 बजे की है प्रार्थिनी अपने मकान के बाहर संजय की परचून की दुकान के पास बैठी थी तभी प्रार्थिनी के गांव के विक्रान्त पुत्र तौले व गुड्डी पुत्री तौले, बाला देवी पत्नी विक्रान्त निवासी लौकीखेड़ा थाना मोहम्मदी जिला खीरी अपने हाथो मं लाठी डण्डा लेकर पुरानी रंजिश के कारण आये और प्रार्थिनी को देखते ही मॉ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। प्रार्थिनी को मार–पीट से हाथ में व संपूर्ण शरीर में चोटें आयी प्रार्थिनी छूटने पर अपने घर को भागी तो विपक्षीगण प्रार्थिनी के मकान में घुस पड़े और मकान के अन्दर ही प्रार्थिनी को मारा पीटा। प्रार्थिनी के शोर पर गांव के तमाम लोग दौड़कर आये जिन्होंने विपक्षीगण को ललकारा तो विपक्षीगण प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। विपक्षीगण बहुत ही हेकड़, सर्कस किस्म के व्यक्ति हैं जो प्रार्थिनी को पहले भी मारपीट चुके हैं। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना थाना मोहम्मदी में दी तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थिनी न्यायालय की शरण में आयी है। याचना की गयी है कि प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहम्मदी, खीरी को निर्देशित करने की कृपा की जावे।

थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 14.03.2026 का अवलोकन किया। थाने से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रकरण में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 में उपरोक्त वर्णित जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनसे आवेदिक भली–भॉति परिचित है एवं स्वतः साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय जॉच भी करा सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सुस्थापित विधिव्यवस्था 2007 (59) ए0सी0सी0 पेज 739 सुखवासी प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण परिवाद के रुप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3)बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रुप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी दिनांक 13.07.2026 को पेश हो।

दिनांक–10.06.2026

(श्रद्धा भारतीय)

(J.O Code-UP1964)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मोहम्मदी–खीरी